दाखिलशुदा नकल आदेश दि० 6/10/12 वाद सं० 04/2012 धारा 143 ... रविनाथ सिंह डिग्री कालेज V/S सरकार मौजा मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद तारीख 6/10/2012 -आदेशानुसार S.D.M(S) [G.N. ...]

(1)

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर फर्रुखाबाद ।

वाद संख्या-4/2012 — धारा-143 ज0वि0अधि0

ग्राम-मानिकपुर — परगना-मोहम्मदाबाद, तह0सदर

रविनाथ सिंह डिग्री कालेज बनाम सरकार

## निर्णय

x———————x

प्रस्तुत वाद अजयपाल सिंह प्रबन्धक रविनाथ सिंह डिग्री कालेज मानिकपुर फर्रुखाबाद ने दिनांक 21-8-12 को इस कथन के साथ संस्थित किया गया है कि मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद के गाटा संख्या 133 रकबा 1.723है0 से 1.012है0 (2.5एकड़) 10120वर्गमीटर भूमि महाविद्यालय के नाम है, पूर्ण स्वामित्व में है एवं भू राजस्व अभिलेखों में अंकित है । उपरोक्त भूमि पर कृषि नहीं होती है । अतः डिग्री कालेज की उपरोक्त भूमि का लगान रहित (धारा-143) का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की है । वाद पत्र के समर्थन में नकल खतौनी 1419-1424, सी0एच0 41 व 45, नकल खतौनी सन् 1356 फसली व शपथ पत्र दाखिल किये है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद से जांच आख्या निर्धारित प्रारूप पर वांछित की गई। तहसीलदार फर्रुखाबाद ने वाद पत्र की जांच करके जांच आख्या निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 15-9-2012 को प्रेषित की है, जिसमें उन्होने उल्लिखित किया है कि ग्राम मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद तहसील सदर स्थित गाटा संख्या 133रकबा 1.723 में से 1.012है0 पर रविनाथ सिंह डिग्री कालेज का भवन व बाउण्डीवाल से घिर हुआ है और कोई कृषि आदि नहीं हो रही है । उ0प्र0जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषि/आबादी घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की है ।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद की आख्या दिनांक 15-9-12 एवं नकल खतौनी 1419-1424फसली का सम्यक रूप से परिशीलन करने से स्पष्ट कि ग्राम मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद स्थित गाटा संख्या 133 रकबा 1.723 में से 1.012है0 भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है । वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर डिग्री कालेज का भवन व बाउण्डीवाल से घिर हुआ है । जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

## आदेश

x———————x

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अजयपाल सिंह प्रबन्धक श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज मानिकपुर, फर्रुखाबाद के नाम

प्रबन्धक
श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति
मानिकपुर-फर्रुखाबाद

पृ0-2

स्थित ग्राम मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद तहसील सदर की खतौनी 1419-1424 फसली में खाता संख्या 128 के गाटा संख्या 133 रकबा 1.72 में से 1.01260 भूमि को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 144 जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भू0व्य0अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार आवश्यक कार्यवाही करेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद एवं उप निबन्धक सदर फर्रुखाबाद को तदनुसार भू-अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज किये जाने हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

06/10/12

उप जिलाधिकारी, सदर
फर्रुखाबाद।

प्रमाणित-प्रतिलिपि जारी की गयी

प्रार्थना पत्र स0 10443
दिनांक 01/07/2022
प्रार्थी का नाम उमेश चन्द्र यादव
तैयारी का दिनांक 02/07/2022
वितरण का दिनांक 02/07/2022
तकमीना 3=/3/-

सत्य प्रतिलिपि
02/7/2022
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, फर्रुखाबाद

प्रबन्धक
श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति
मानिकपुर-फर्रुखाबाद

# कार्यालय तहसीलदार सदर, फर्रुखाबाद

पत्रांक 73 / प्रमाणपत्र दिनांक 02-07-22

## स्वामित्व प्रमाण पत्र

राजस्व निरीक्षक की आख्यानुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविनाथ सिंह डिग्री कॉलेज मानिकपुर, फर्रुखाबाद के नाम ग्राम मानिकपुर में गाटा सं0 133 रकवा 1.7230 हे0 मे से 1.0120 हे0 है। जिसमें से 0.8100 हे0 यानी 8100 वर्गमीटर (2.00 एकड़) भूमि श्री रविनाथ सिंह डिग्री कॉलेज समिति मानिकपुर फर्रुखाबाद के नाम लीजडीड है। जो समिति के पूर्ण स्वामित्व में उक्त गाटा संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर है। जो पहुंच मार्ग पर स्थित है।

तहसीदार
सदर फर्रुखाबाद
तहसीलदार
सदर
फर्रुखाबाद

Scanned with OKEN Scanner